न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /14 निगरानी R 4247-I/14

मु. गिरिजा बाई वेवा स्व. अंगद प्रसाद शुक्ला निवासी– बीरा, तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना (म.प्र.)

.... आवेदिक

विरुद्ध

1. पवन कुमार पुत्र स्व. अंगद प्रसाद निवासी– बीरा, तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी हल्का बीरा जिला पन्ना (म.प्र.)

..........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार अजयगढ़ जिला पन्ना के न्यायालय का प्रकरण क्र. 59 A-6 A/13-14 में पारित आदेश दिनांक 31.10.14

माननीय महोदय,

आवेदिका की निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, भूमि खसरा क्र. 1893 रकवा 0.785 हेक्टर किता 1 स्थित ग्राम वीरा के पूर्व राजस्व रिकार्ड में आवेदिका का नाम वर्ष 1990 तक भूमि स्वत्व पर दर्ज रहा।
2. यहकि, बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के पटवारी द्वारा वर्ष 1990–91 में अनावेदक क्र. 1 का नाम नामांतरण पंजी क्र. 3 वर्ष 1989–90 में आदेश दिनांक 13.8.89 के अनुसार बंटवारा आपसी रूप से कॉलम नं. 14 में फर्जी प्रविष्टि दर्ज करके खसरा नं. 1893 रकवा 0.785 हेक्टर का रकवा दर्ज कर दिया उक्त नामातंरण आदेश जो

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–4247–एक/2014 जिला–पन्ना

मुस. गिरिजा बाई विरूद्ध पवन कुमार व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–02–2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अजयगढ़, जिला–पन्ना के प्रकरण क्रमांक 59/अ–6–अ/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 31–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 12–4–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 25/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	